प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.11.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग का 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण - दिनांक 11.11.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 रमेश प्रसाद सिंह निवासी म0नं0 447 नीतिखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि वादी शिवशक्ति आटा चक्की के सामने खड़ा था तभी बाईक सवार 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग गये। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना का आधार पर दिनांक 11/12.11.2026 को ही उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त उत्कर्ष पुत्र ऋषि कुमार चन्द्रलोक मंड़ोली रोड थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को यशोदा हॉस्पिटल से हिंडन नदी की ओर जाने वाले रोड से ग्रीन बेल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से स्नैचिंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त उत्कर्ष के विरुध्द पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढौत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त पुनीत निवासी जगतपुरी दिल्ली की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त उत्कर्ष से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उत्कर्ष अपने दोस्त पुनीत निवासी जगतपुरी दिल्ली के साथ अपने शौक पूरा करने के लिये मोटर साइकिल पर सवार होकर मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित करते है। और उन मोबाइल फोन को राहे चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देते है। दिनांक 11.11.26 को सुबह के समय दोनों अभियुक्तों (उत्कर्ष व पुनीत) ने इन्दिरापुरम क्षेत्र से मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित की थी। रास्ते में मोटर साइकिल गिर गई थी जिस कारण अभियुक्त पुनीत मोटर साइकिल लेकर चला गया था। अभियुक्त उत्कर्ष अकेला मोबाइल फोन बेचने की फिराक में यशोदा हॉस्पिटल से हिंडन नदी की ओर जाने वाले रोड से ग्रीन बेल्ट के पास घूम रहा था। जहाँ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

उत्कर्ष यादव पुत्र ऋषि कुमार यादव म0न0 606 गली न0 6 चन्द्रलोक मंड़ोली रोड थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

वाँछित अभियुक्त का नाम व पता:- पुनीत निवासी जगतपुरी दिल्ली

बरामदगी का विवरण:-

कब्जे से 01 मोबाइल फोन वन प्लस बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त उत्कर्ष के विरुद्ध कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। जिनमे से थाना इन्दिरापुरम पर मोबाइल फोन स्नैचिंग का 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर मोबाइल फोन स्नैचिंग के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट / चोरी की योजना बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 ऑटो बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 11.11.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एलिवेटेड के नीचे एक ऑटो में चार व्यक्ति बैठे है, जिनके पास अवैध असलहा है। जो लूट/चोरी की घटना कारित करने की योजना बना रहे है। जल्दी कोशिश की जाए तो पकडे जा सकते है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा लूट/चोरी की घटना की योजना बनाने वाला अभियुक्त नोमान पुत्र साकिर निवासी रूप नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को एलिवेटेड के नीचे पिलर नं0 120 के पास से ऑटो सहित गिरफ्तार किया गया। तथा ऑटो में बैठे अभियुक्त नोमान के अन्य 03 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त नोमान के विरुध्द थाना इन्दिरापुरम पर धारा 312,313 बीएनएस, 3,25 आयुध अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वाँछित अभियुक्त वकील, तालिब, अमन की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त नोमान से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त नोमान अपने दोस्त (वकील, तालिब, अमन) मिलकर ऑटो में सवारियों को बैठाकर रास्ते में एकान्त जगह ले जाकर सभी अभियुक्त तमंचे के बल पर लूट/चोरी की घटना कारित करते है और सवारियों को ऑटो से उतारकर भाग जाते है। चारो अभियुक्त एलिवेटेड के नीचे पिलर नं0 120 के पास से ऑटो में बैठकर लूट/चोरी की घटना कारित करने की योजना बना रहे थे। अभियुक्त नोमान क ऑटों सहित पकड़ लिया गया। अन्य 03 अभियुक्त (वकील, तालिब, अमन) अधेरे का फायदा उठाकर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नोमान पुत्र साकिर निवासी- रूप नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1. वकील पुत्र सरवर निवासी डाबर तालाब थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2. तालिब पुत्र रशीद निवासी पावी थाना ट्राँनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ।
3. अमन निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से अवैध 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 ऑटो बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त नोमान उपरोक्त के विरुध्द कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। जिसमें से थाना इन्दिरापुरम पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना लोनी पर दुर्घटना से सम्बंधित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा छोटे बच्चे हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.11.2026 को थाना वेव सिटी, गाजियाबाद पर वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसके पति अभिषेक द्वारा उसके 09 माह के पुत्र माधव उर्फ मैक्स का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.11.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मेनुअल ईनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम बयाना थाना वेवसिटी जपनद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को बयाना से डासना जाने वाले रास्ते पर शमशान घाट टी पॉइन्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं बयाना का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी मेड का काम करती है मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था मुझे लगता था कि मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्बन्ध थे और ये बच्चा उसी पुरूष के संसर्ग से पैदा हुआ था जो मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं था मेरी पत्नी मुझसे बार बार झूठ बोल कर उस व्यक्ति से मिलने जाती थी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अकसर झगड़ा होता रहता था कुछ समय पूर्व भी हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तब मैनें बच्चे को ऊपर से जमीन पर पटक दिया था और उसको चोट लगी थी तो मेरी पत्नी ने उसे उस समय बचा लिया था मैं मौके के इन्तजार में था दिनांक 09.11.2026 को मेरी पत्नी जब सुबह ड्यूटी चली गयी, तब बच्चा मेरे पास कमरे में बैड पर खेल रहा था और कभी कभी जोर जोर से रोने लगता था मुझे अचानक गुस्सा आ गया मैने उसका गला दबा दिया जिससे दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गयी फिर मैनें उसे अपने बगल मे ही लिटा लिया जब मेरी पत्नी करीब 10.30 बजे मैड का काम करके वापस आयी तो उसने बच्चे के बारे में पूछा तो मैने झूठ बोला दिया कि वह अभी सो रहा है लेकिन जब वह कुछ देर बाद दोबारा वापस आयी और बच्चे को उठाया तो उसे पता चल गया और उसने शोर मचा दिया तब सभी लोगों को पता चल गया था और मैं अपनी पत्नी के कहने पर बच्चे को लेकर अस्पताल भी गया था जहाँ डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था जिसके बाद मै घर वापस आ गया उसके बाद मेरी पत्नी ने बच्चे के शरीर को चैक किया तो उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे जिन्हें देखकर उसे शक हुआ परन्तु मेरे व ग्राम परिवार के लोगों के कहने पर हमने बच्चे के शव को गांव के ही शमशान घाट में दफना दिया परन्तु जब मेरे ससुराल वाले आये तो उनके कहने पर उसनें 112 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गयी थी जिसके बाद में बच्चे के शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम बयाना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 11.11.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला शातिर अभियुक्त मौ0 चाँद पुत्र श्री सरफुद्दीन निवासी कौडी कॉलोनी डीएलएफ शरदपुरी रोड, शैलेष के मकान में किराये पर थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को सेन्ट्रल पार्क कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। उक्त चोरी की स्कूटी को थाना पांडव नगर दिल्ली से चोरी होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पांडव नगर दिल्ली में मु0अ0सं0 6367/2026 पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 चाँद के विरुध्द बरामदगी के आधार पर थाना कौशाम्बी पर 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 चाँद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मौ0 चाँद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करता है। अभियुक्त से बरामद उक्त स्कूटी को लगभग 06 महिने पहले दिल्ली से चोरी किया था। उक्त स्कूटी को बेचने की फिराक में सेन्ट्रल पार्क कौशाम्बी के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 चाँद पुत्र श्री सरफुद्दीन निवासी कौडी कॉलोनी डीएलएफ शरदपुरी रोड, शैलेष के मकान में किराये पर थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 चाँद के विरूध्द थाना कौशाम्बी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना पांडव नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा छोटे बच्चे हत्या की घटना को अंजाम देने वाला अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.11.2026 को वादिया पता वेव सिटी गाजियाबाद के प्राप्त प्रार्थना पत्र कि पति अभिषेक (पति) द्वारा पुत्र माधव उर्फ मैक्स उम्र 9 माह का गला दबाकर हत्या कर देने के आधार पर थाना वेविसिटी पर अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.11.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मेनुअल ईनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम बयाना थाना वेवसिटी जपनद गाजियाबाद

उम्र 26 वर्ष को बयाना से डासना जाने वाले रास्ते पर शमशान घाट टी पॉइन्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं बयाना का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी मेड का काम करती है मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था मुझे लगता था कि मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्बन्ध थे और ये बच्चा उसी पुरूष के संसर्ग से पैदा हुआ था जो मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं था मेरी पत्नी मुझसे बार बार झूठ बोल कर उस व्यक्ति से मिलने जाती थी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अकसर झगड़ा होता रहता था कुछ समय पूर्व भी हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तब मैनें बच्चे को ऊपर से जमीन पर पटक दिया था और उसको चोट लगी थी तो मेरी पत्नी ने उसे उस समय बचा लिया था मैं मौके के इन्तजार में था दिनांक 09.11.2026 को मेरी पत्नी जब सुबह ड्यूटी चली गयी, तब बच्चा मेरे पास कमरे में बैड पर खेल रहा था और कभी कभी जोर जोर से रोने लगता था मुझे अचानक गुस्सा आ गया मैने उसका गला दबा दिया जिससे दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गयी फिर मैनें उसे अपने बगल मे ही लिटा लिया जब मेरी पत्नी करीब 10.30 बजे मैड का काम करके वापस आयी तो उसने बच्चे के बारे में पूछा तो मैने झूठ बोला दिया कि वह अभी सो रहा है लेकिन जब वह कुछ देर बाद दोबारा वापस आयी और बच्चे को उठाया तो उसे पता चल गया और उसने शोर मचा दिया तब सभी लोगों को पता चल गया था और मैं अपनी पत्नी के कहने पर बच्चे को लेकर अस्पताल भी गया था जहाँ डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था जिसके बाद मै घर वापस आ गया उसके बाद मेरी पत्नी ने बच्चे के शरीर को चैक किया तो उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे जिन्हें देखकर उसे शक हुआ परन्तु मेरे व ग्राम परिवार के लोगों के कहने पर हमने बच्चे के शव को गांव के ही शमशान घाट में दफना दिया परन्तु जब मेरे ससुराल वाले आये तो उनके कहने पर उसनें 112 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गयी थी जिसके बाद में बच्चे के शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम बयाना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।